फर्द अहकाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) ढीली देवी बनाम प्रकाश चन्द [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष /65/23 : ______ / 20__

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/3/24	पत्रावली पेश [illegible] अन्य राज्य कार्य [illegible] है। अतः पत्रावली पुनः [illegible] 1/5/24 को पेश हों।
	1/5/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप० पत्रावली वास्ते इंतजार कब्जेजात रिपोर्ट दिनांक 1.5.24 को पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) इतना लिखने पर तहसीलदार सांगानेर से कब्जेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। कब्जेजात पर [illegible] अधिवक्ता [illegible] बाद को मुताबिक कब्जेजात रिपोर्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया [illegible] मुताबिक कब्जेजात रिपोर्ट [illegible] डिक्री किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

बनाम

संख्या / वर्ष :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 185/2023
निर्णय दिनांक : 01.05.2024

1. श्रीमति घीसी देवी पत्नी श्री छोटू आयु 88 वर्ष, स्थाई निवासी ग्राम नाचनीपुरा (दयालपुरा) तहसील दूद, जिला दूदू।

वादिनी

बनाम

1. प्रकाश चन्द सिंगला पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री डालूराम, निवासी दहमीकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (नाम हजफ)
3. भगवान सहाय पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी दादिया पालडी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राज्य सरकार उप पंजीयक बगरू, उपतहसील बगरू, जिला जयपुर।
6. हेमराज वर्मा पुत्र छगन लाल वर्मा, जाति रैगर, निवासी ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का वास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमांकन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 12.01.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवा कर इस न्यायालय को दिनांक 02.02.2024 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु०अ०/कुर्रेजात/2024/1719 दिनॉक 05.03.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपस्थित उभयपक्षक अधिवक्ता की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस [illegible] से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। [illegible] वादीगण अधिवक्ता, [illegible] से [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट का पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं त[illegible] पर [illegible] वादीगण अधोपान्त अवलोकन करने व बहस [illegible] अंतिम डिक्री किया जाना तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः ग्राम पालडी परसा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 40 संख्या पुराना 28 खसरा नम्बर 779 रकबा 0.9900 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. घीसी देवी पत्नि छोटू हि0 सम्पूर्ण जाति बैरवा सा0 नाचनीपुरा तहसील दूदू खसरा नम्बर 779 मि0 रकबा 0.13 हैक्टेयर
2. प्रकाश चन्द सिंगला पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 सम्पूर्ण जाति बलाई सा0 बगरू खुर्द खातेदार खसरा नम्बर 779 मि0 रकबा 0.13 हैक्टेयर
3. बाबूलाल पुत्र डालूराम हि0 सम्पूर्ण जाति रैगर सा0 दहमी कंला खसरा नम्बर 779 मि0 रकबा 0.60 हैक्टेयर
4. भगवा सहाय पुत्र रामचन्द्र हि0 सम्पूर्ण जाति बैरवा सा0 दादिया पालडी खसरा नम्बर 770 रकबा 0.13 हैक्टेयर

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:45 IST
Reason: SelfAttested